

30/01/20

पत्रावली पेश हुई। कपीलानंद व उनके
वकील को बार बार आवाज लगाया
गया कि नु उपस्थित नहीं आए। ऐसी
स्थिति में कपील कपीलानंद 0-9-R.03CPC
के तहत कदम हाजिरी व कदम पेशी में
वारिज की जाती है। पत्रावली फॉलोन शुभ
होकर वास नकमील दाद हो।

जिला कलेक्टर
धरमपुर (राज०)

